उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

सरफेसी वाद सं0–101/2023–24

BANK OF BARODA

बनाम्

M/S ROSHAN CONSTRUCTION

–: आदेश :–

10.04.2024

प्राधिकृत पदाधिकारी, BANK OF BARODA, CHAS BRANCH, BOKARO के द्वारा धारा–14 (1) and (2) OF THE SECURITIZATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002 के अन्तर्गत विपक्षी 1. M/s Roshan Construction Prop. Sushma Devi 2. Shri Mandhlesh Singh S/o Purushottam Singh both resident of Bhagirathi Nagar, Near Gayatri Mandir, Nandua Sthan, Chas, Bokaro, Jharkhand-827013 के विरूद्ध बैंक में गिरवी रखे गए सम्पत्ति/भूमि पर दखल–कब्जा प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दाखिल किया गया है।

फलस्वरूप उक्त एक्ट के तहत कार्रवाई प्रारंभ करते हुए उभय पक्षों को अपना–अपना पक्ष रखने के लिए सूचित किया गया।

प्रथम पक्ष BANK OF BARODA की ओर से दाखिल आवेदन पत्र में उल्लेख किया गया है कि विपक्षी ने अपनी निम्नाकिंत सम्पत्ति (Property situated at Plot No. 3320, Khata No. 652, Area 1.35 decimals, Plot No. 3322, Khata No. 641, Area 4.00 decimals, Mouza Chas, Thana No. 30, Thana Chas, Anchal Chas, Ward No. 7, Dist. Bokaro, Jharkhand Total Area 5.35 decimals standing in the name of Mrs. Sushma Devi W/o Mr. Mandlesh Kumar Singh, Vide Sale Deed No. 3704, dated 01.11.2017) को गिरवी रखते हुए बैंक से 13,57,000.00 (तेरह लाख सनतावन हजार) रूपये ऋृण लिया गया था जिसे अब तक उनके द्वारा नहीं चुकाया गया है। उनके द्वारा ऋृण की वापसी में अनियमितता बरती गई है, जिसके कारण ऋणकर्त्ता का खाता दिनांक–02.05.2022 को ही एन0पी0ए0 हो गया है। वर्तमान में ऋणकर्त्ता पर कुल रूपये 12,10,000.10/– के साथ ब्याज एवं अन्य शुल्क का बकाया है। ऋण की वापसी हेतु बैंक के द्वारा SARFAESI ACT-2002 के विभिन्न धाराओं के तहत नियमानुसार कार्रवाई के बावजुद भी विपक्षी की ओर से बकाया राशि की वापसी की दिशा में कोई पहल नहीं किया गया है। फलस्वरूप SARFAESI ACT-2002 की धारा–14 (1) & (2) के तहत विपक्षी की सम्पत्ति पर

दखल–कब्जा प्राप्त करने में शांति व्यवस्था भंग नहीं हो इसके लि… उनके द्वारा दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल की माँग की गई है।

विपक्षी की ओर से हाजरी दी गई है किन्तु वह सुनवाई के दौरान पुकार पर अनुपस्थित पाये गए। उनके द्वारा अपने बचाव में अब तक किसी भी तरह का कोई लिखित जबाब/कारण–पृच्छा दाखिल नहीं किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि उन्हें इस मामले में कुछ भी नहीं कहना है।

प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा दाखिल आवेदन पत्र, अभिलेख में संधारित कागजात के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि विपक्षी से ऋण की वापसी हेतु बैंक के द्वारा SARFAESI ACT-2002 के विभिन्न धाराओं के तहत नियमानुसार कार्रवाई की गई। बावजुद इसके विपक्षी के द्वारा बकाया ऋण वापसी की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया और न ही उनके द्वारा अब तक ऐसा कोई आधार/साक्ष्य प्रस्तुत किया गया, जिससे प्रतीत हो कि उनके द्वारा ऋण की राशि वापस कर दी जाएगी। विपक्षी का अनुपस्थित रहना तथा अपने बचाव में किसी भी तरह का कारण–पृच्छा दाखिल नहीं किया जाना उनके ऋण न चुकाने की मंशा को दर्शाता है।

वर्णित परिस्थिति में SARFAESI ACT-2002 की धारा 14(1) एवं (2) निहित प्रावधानों के तहत प्राधिकृत पदाधिकारी, **BANK OF BARODA, CHAS BRANCH, BOKARO** द्वारा किए गए अनुरोध पर प्रश्नगत सम्पत्ति/भूमि पर दखल–कब्जा प्राप्त करने के क्रम में शांति भंग न हो इसके लिए विधि–व्यवस्था संधारण हेतु पुलिस अधीक्षक, बोकारो एवं संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगें।

तदनुसार संबंधित को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।

Digitally signed by VIJAYA NARAYANRAO JADHAV
Date: 2024.06.27 17:42:02 +05:30
Location: 192.168.1.108